

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/114283/ALG/ALIGARH/2262/CFO

दिनांक: 11-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स HINDUSTAN SCHOLARS ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता GATA NO.178, ARNI CHAURAHA, ARNI

ROAD, ALIGARH तहसील - KHAIR, प्लॉट एरिया 6422.60 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 2824.96 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

| ब्लॉक/टावर                 | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | वेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई    |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| HINDUSTAN SCHOLARS ACADEMY | 2                                 | 0                  | 7.50 mt. |

है। भवन का अधिभोग मैसर्स HINDUSTAN SCHOLARS ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 18-05-2024 व भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री PRINCE SHARMA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 19-05-2024 से 19-05-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए कियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स HINDUSTAN SCHOLARS ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स HINDUSTAN SCHOLARS ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** As per the recommendation of the inspection officer this certificate is being issued for the building indicated in the map. It will be necessary to conduct fire mock drill every month, fire training of staff and maintenance and documentation of fire equipment. It is necessary to take certificate from Electrical Safety Department. It will be necessary to take permission before occupying the building or making structural change. The decision regarding the necessity of setback will be taken by the concerned authority. It will be the responsibility of the building owner/manager to fulfill the above conditions, otherwise the No Objection Certificate will automatically be considered cancelled

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(ARVIND KUMAR SINGH)

[C6883436347576618DD9636E9B68589D326E7BD0]

19-05-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-05-2024  
स्थान : ALIGARH

Manager

Hindustan Scholars Academy

